(3)

(172) 8

संख्या–165 /XVII-4/2017–01(82)/2014

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. **निदेशक,**
समाज कल्याण, उत्तरारखण्ड,
हल्द्वानी–नैनीताल।

2. **निदेशक,**
जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

3. **समस्त जिलाधिकारी,**
उत्तराखण्ड।

समाज कल्याण अनुभाग–04 **देहरादूनः दिनांकः 03 मई, 2017.**

विषयः पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियों के लाभार्थियों के सत्यापन के दिशानिर्देश।

महोदय,

शासन के संज्ञान में आया है कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की योजनाओं के अन्तर्गत राज्य में तथा राज्य के बाहर के सहायता प्राप्त विद्यालयों तथा निजी विद्यालयों/महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों द्वारा छात्र–छात्राओं का बिचौलियों के माध्यम से छात्र/छात्राओं के विभिन्न अभिलेख प्राप्त कर तथा उनके छात्रवृत्ति के वितरण हेतु छात्र/छात्राओं के नाम खोले गये बैंक खातों से छात्रवृत्ति आहरण हेतु बैंक आहरण प्रपत्र पर हस्ताक्षर प्राप्त कर इनका फर्जी प्रवेश कराया जाता है व बिना कक्षाओं में उपस्थित हुये उनकी उपस्थिति दर्शाते हुये उनकी छात्रवृत्तियां आहरित की जा रही है। इस प्रकार राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के धन का दुरूपयोग किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में कृपया छात्रवृत्तियों के वितरण में पारदर्शिता लाये जाने हेतु तथा फर्जी रूप से छात्र–छात्राओं के प्रवेश की रोकथाम हेतु समय–समय पर इस सम्बन्ध में जारी दिशानिर्देशों के अतिरिक्त निम्न प्रकार से कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें:–

1. छात्रवृत्तियों हेतु ऑनलाइन आवेदन की सूची आई0टी0 प्रकोष्ठ द्वारा सम्बन्धित जिलाधिकारियों एवं जिला समाज कल्याण अधिकारियों को सत्यापन हेतु प्रेषित की जायेगी।
2. जिलाधिकारी द्वारा उक्त सूची (नाम/पिता का नाम/पता/संस्था/पाठ्यक्रम वितरण) वेबसाइट में प्रदर्शित करते हुए वेबसाइट का विवरण स्थानीय समाचार–पत्रों में इस आशय से प्रकाशित किया जाये कि सूची में उल्लिखित विवरण से यदि किसी छात्र– छात्रों को किसी प्रकार की आपत्ति है तथा किसी छात्र–छात्रा का नाम उनके संज्ञान में लाये बिना उल्लिखित पाया जाता है तो सम्बन्धित जिलाधिकारी व निदेशक व आई0टी0 प्रकोष्ठ को सूचित किया जाये।
3. प्रदेश के बाहर अध्ययनरत छात्र–छात्राओं हेतु सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी व जिला समाज कल्याण अधिकारी सत्यापन के बिना छात्रवृत्ति नहीं दी जायेगी।
4. उपरोक्त सत्यापन कार्य जिला समाज कल्याण अधिकारी अपनी निगरानी में सहायक समाज कल्याण अधिकारियों से शत–प्रतिशत कराया जायेगा तथा उपरोक्त सत्यापन का 10 प्रतिशत Random Sampling के आधार पर स्वयं भी सत्यापन किया जायेगा तथा सत्यापन रिपोर्ट संस्थावार व पाठ्यक्रमवार आई0टी0 प्रकोष्ठ को प्रेषित की जायेगी।

क्रमशः 2...

5. उपरोक्त के अतिरिक्त जिलाधिकारी द्वारा भी अपनी निगरानी में समाज कल्याण विभाग से इतर अन्य अधिकारियों से Random Sampling के आधार पर 50 प्रतिशत सत्यापन कराया जायेगा तथा उपरोक्त सत्यापन का 10 प्रतिशत Random Sampling के आधार पर स्वयं भी सत्यापन किया जायेगा तथा सत्यापन रिपोर्ट संस्थावार व पाठ्यक्रमवार आई0टी0 प्रकोष्ठ को प्रेषित की जायेगी।
6. सम्बन्धित जिलाधिकारी अपने जनपद में स्थित ऐसे संस्थानों जिसमें छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है, के भौतिक सत्यापन में यह सुनिश्चित करेंगे कि उस संस्थान में अध्ययनरत छात्र क्या वास्तविक रूप में वहां अध्ययनरत हैं या नहीं। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके जनपद के छात्र जो प्रदेश या प्रदेश के बाहर जनपदों में अध्ययनरत हैं कि वे वास्तविक रूप से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या नही। जिलाधिकारी उपरोक्त सत्यापन के पश्चात स्वयं हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र जारी करेंगे जिसमें कि जनपद में प्रत्येक छात्र–छात्रा व अध्ययनरत संस्था का विवरण होगा। इसमें छात्रवृत्ति का भुगतान उपरोक्त प्रमाण पत्र के आधार पर ही किया जायेगा। उपरोक्त प्रमाण पत्र के अभाव में छात्रवृत्ति वितरित नहीं की जायेगी।
7. जिला समाज कल्याण अधिकारियों द्वारा उक्त सूची के समस्त छात्रों का भौतिक सत्यापन किया जायेगा जिसमें छात्रों का नाम, पता, माता–पिता/अभिभावक का नाम, जन्मतिथि प्रमाण पत्र, पूर्व में प्राप्त शिक्षा का प्रमाण–पत्र अधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण, बैंक खातों का विवरण प्राप्त किया जायेगा व जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा प्रत्येक छात्र का सत्यापन कर अपने हस्ताक्षर से रिपोर्ट उपरोक्त समस्त सूचनाओं सहित जिलाधिकारी के माध्यम से निदेशक समाज कल्याण को प्रेषित की जायेगी।
8. निदेशक, समाज कल्याण/जनजाति कल्याण अपने स्तर से भी 10 प्रतिशत छात्रों का भौतिक सत्यापन कर, जिसमें कि शासकीय व अशासकीय संस्थान दोनों सम्मिलित होंगे, की रिपोर्ट शासन को प्रेषित करेंगे।
9. भौतिक सत्यापन में सत्यापित छात्र–छात्राओं से यह ज्ञात कर लिया जायेगा कि उनके द्वारा सम्बन्धित संस्थाओं में वास्तव में प्रवेश हेतु आवेदन किया गया था अथवा नहीं, किस पाठ्यक्रम में आवेदन किया गया, शिक्षण के दौरान उत्तीर्ण सैमेस्टर के प्रमाण पत्र व अंकतालिका तथा बाहर रह कर पढ़ायी किये जाने की दृष्टि में अभ्यर्थी द्वारा वहाँ रह कर पढ़ायी की जा रही है अथवा नहीं, की पुष्टि करा ली जायेगी।
10. उपरोक्त सत्यापन में असत्यापित पाये जाने वाले छात्र–छात्राओं के सम्बन्ध में उक्त अनियमितता से सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों एवं छात्र–छात्राओं की संलिप्तता की प्रारम्भिक जांच कर अपराधियों के विरूद्ध सुसंगत अधिनियम के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी। उपरोक्त अनियमितता में अधिकारियों/कर्मचारियों से इतर छात्र–छात्राऐं भी अपराध के दोषी होंगे।
11. सम्बन्धित संस्थाओं के प्रधानाचार्यों द्वारा छात्रवृत्ति हेतु आवेदित छात्र–छात्राओं के प्रवेश की पुष्टि की जायेगी। तथा प्रतिमाह छात्र–छात्राओं के बायोमैट्रिक उपस्थिति की रिपोर्ट जिलाधिकारी के माध्यम से निदेशक व आई0टी0 प्रकोष्ठ को प्रेषित की जायेगी। यदि प्रत्येक माह में उपस्थिति का विवरण संस्था द्वारा नही भेजा जाता तो छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जायेगा। एवं यदि अनाधिकृत रूप से भुगतान हो गया हो तो उसकी वसूली सुनिश्चित करा ली जायेगी।
12. उपरोक्त मासिक रिपोर्ट के आधार पर छात्रवृत्तियां त्रैमासिक किश्तों में छात्र–छात्राओं के बैंक खातों में ऑनलाइन स्थानान्तरित की जायेगी।

क्रमशः 3...

13. छात्र–छात्राओं के सम्बन्धित पाठ्यक्रम के समय–समय पर आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में उपस्थिति एवं परीक्षा परिणाम भी सम्बन्धित प्रधानाचार्यो द्वारा जिलाधिकारी व निदेशक समाज कल्याण व आई0टी0 प्रकोष्ठ को भेजा जायेगा।
14. उपरोक्त परीक्षा परिणामों में अनुत्तीर्ण छात्र–छात्राओं को आगामी किश्तों का भुगतान तभी किया जायेगा जब वह सम्बन्धित परीक्षा उत्तीर्ण कर लेंगे।
15. उपरोक्त प्रक्रियाओं में किसी प्रकार की अनियमितता किसी भी स्तर पर पाये जाने पर सम्बन्धित संस्था/प्रधानाचार्य/अधिकारी/कर्मचारी/छात्र–छात्राओं के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी। छात्र–छात्राओं पर विधिक कार्यवाही तभी नहीं होगी जब वह यह साबित करेंगे कि अनियमितता में उनकी संलिप्तता नहीं है।

जिलाधिकारी द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र के बिना छात्रवृत्ति वितरित नहीं की जायेगी तथा वर्ष 2016–17 से अध्ययनरत छात्र–छात्राओं की सत्यापन रिपोर्ट संस्थावार व पाठ्यक्रमवार **एक माह** के भीतर शासन को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या–165 (1)/XVII-4/2017–01(82)/2014 तददिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री समाज कल्याण उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय देहरादून।
5. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।
6. नोडल अधिकारी, आई0टी0 प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मनोज चन्द्रन)
अपर सचिव।